

प्रेषक,

शंभू शरण, मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:- सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 30/01/2025

विषय:- गोपालगंज जिलान्तर्गत 100 शैया का अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ के भवन निर्माण (चाहरदीवारी सहित) हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 29,66,41,000/- (रुपये उनतीस करोड़ छियासठ लाख इकतालिस हजार) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-8864, दिनांक-23.01.2024 द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत 100 शैया का अनुमंडलीय अस्पताल, हथुआ के भवन निर्माण (चाहरदीवारी सहित) हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रु० 29,66,41,000/- (रुपये उनतीस करोड़ छियासठ लाख इकतालिस हजार) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-654(7), दिनांक-15.03.2024 द्वारा प्रदान की गयी थी। तदक्रम में निगम द्वारा किये गये मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-654(7), दिनांक-15.03.2024 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

3- यह कार्य मांग संख्या-20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष-0102-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-20-4210021030102, विषय शीर्ष-(53-01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4- इस राशि के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-साह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5— अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट स०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6— बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

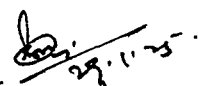
9— प्रस्ताव एव प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

10— प्रारूप में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-48/2023-24 के पृष्ठ-13/टि० में प्राप्त है।

11— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है आवंटन CIMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

12— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव।

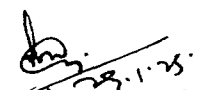
ज्ञापक —

399/71

/स्वा०, पटना, दिनांक- 30 / 01 / 2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रगडलीय आयुक्त, सारण प्रगडल, छपरा/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रगडल, छपरा/अरौनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशारण), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।